


137/8

पतापती का एक लोका न्यायालय के अध्यक्ष हैं
 के पास दुई/वादी परिवारों दोनो ही
 उपस्थित / उपस्थित संयुक्त लगभग 25 साल
 से गांव में नहीं रहते हैं, जहाँ रहते हैं मुकेश
 1.00
 1.25 का मत जोड़े पता दिखाया गयी
 है) वादी और जोड़े संयुक्त प्रस्तुत
 करके चाहा है। परिवारों में जो
 साक्ष्य प्रस्तुत गयी करके चाहा है।
 पतापती पर दोनों पक्षों में से एक
 गया। निर्णय निम्न प्रकार है:-

संज्ञा के प्रकार इस प्रकार है कि
 पत्नी मुख्य पुत्र अर्थात् लाल उम्र-33
 वर्षों में निवृत्त रहते हैं। लालियत
 के अंक 188 स. फ. आ. के पास है। काबुल
 (अर्थात् मुख्य है चुकी है। उनके पुत्र
 मुझे एक वारीयत का नाम है परन्तु
 निवृत्त है। उप वारीयत का नाम काबुल
 पर काबुल का नाम है। वही
 वह वादी के हक में खीतदार काबुल
 खीतदार निवृत्त है।

पतापती एवं संलग्न निवृत्त का
 संयुक्त निवृत्त गया। निवृत्त के

34/5
 संयुक्त (पालतु) अज.



मुकेश
 (श्री. निवृत्त-वर्ग 100)

सं. 10/10/15

पक्ष का नाम

तारीख
दृश्य

दृश्य या कार्यवाही पर इतिहासिक उक्त

जबकि उपायदात है पत्रावली
 में उक्त उपायदात उपायदात की संख्या
 की है। उपायदात उपायदात 1881 में
 में उपायदात उपायदात 1881 में
 तदनुसार उपायदात उपायदात 1881 में
 की उपायदात 1881 उपायदात उपायदात
 उपायदात उपायदात उपायदात

उपायदात 1881 में उपायदात
 उपायदात उपायदात उपायदात उपायदात
 उपायदात उपायदात उपायदात उपायदात
 उपायदात उपायदात उपायदात उपायदात
 उपायदात उपायदात उपायदात उपायदात
 उपायदात उपायदात उपायदात उपायदात
 उपायदात उपायदात उपायदात उपायदात

13/7/15

उपस्थपडाधिकारी
 सरमथुस (धौलपुर) राज.